बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
मान्नीया मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग का वर्ष 2012–13 का बजट भाषण

राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, ओलापात, अग्निकांड, चक्रवातीय तूफान, वज्रपात, शीतलहर आदि का प्रकोप अक्सर बना रहता है। आपदा प्रबंधन विभाग का उद्देश्य इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को साहाय्य प्रदान करना तथा इससे उन्हें न्यूनतम क्षति हो, इसका उपाय करना है। विभाग की प्राथमिकता में आपदा पूर्व तैयारियाँ करना शामिल है ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुगह अनदान मुहैय्या कराया जाता है। विगत वर्ष 2009–10 के प्रभाव से वज्रपात के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न, नगद अनुदान, फसल क्षति अनुदान, मकान मरम्मति हेतु अनुदान एवं मृत पशुओं के लिए अनुदान देने की व्यवस्था को जाती है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पीड़ितों की खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमित की गई आबादी क अस्थाई आवासन हेत सभी आवश्यक व्यवस्था यथा पेयजल, अस्थाई शौचालय, भोजन, चिकित्सा, पशुचारा, साफ–सफाई आदि को व्यवस्था भी की जाती है।

राज्य में एक बड़ी आबादी उपर वर्णित प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त नदियों के कटाव से प्रतिवर्ष विस्थापित हो जाती है, जिनके पुनर्वास की जवाबदेही भी इस विभाग पर है। कटाव पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अर्जित की जानेवाली भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान जिला/प्रमंडलीय पदाधिकारियों के प्रतिवेदन पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया गया है। आपदा प्रबंघन अधिनियम के आलोक मे उक्त कोष के संचालन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति गठित है। इस कोष के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 मे 368.77 करोड़ रूपये कर्णांकित है। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदा यथा– चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमपात (हिमवषा), बादल फटने तथा कीट आक्रमणों से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हुए व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। केन्द्र द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में 75

प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में तथा 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। विशेष प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह सारी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की राज्य कार्यकारिणी समिति के नियंत्रणाधीन संचालित होती है। गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य सरकार अपने साधन स्त्रोत से कराती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य साधन स्त्रोत से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान, आपदा प्रशिक्षण पर व्यय, प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं शताब्दी अन्न कलश योजना हेतु भी राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निम्नलिखित मांग के द्वारा बजट उपबंध मे राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है:–

मांग संख्या– 39

गैर योजना मुख्य शीर्ष	(राशि रु0 में)
2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–01–सूखा/02–बाढ़ चक्रवात आदि/06–भूकम्प	3,64,27,00,000.00 (तीन अरब चौंसठ करोड़ सताईस लाख)
2245–02–101–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	2,00,00,000.00 (दो करोड़)
2245–80–सामान्य–001–0001– आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना	5,28,26,000.00 (पाँच करोड़ अठाईस लाख छब्बीस हजार)
2245–80–001–0002–बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2,95,67,000.00 (दो करोड़ पनचानवे लाख सड़सठ हजार)
2245–80–003–0001– आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	5,00,000.00 (पॉच लाख)
2245–80–102–0005– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	5,00,00,000.00 (पाँच करोड़)
2245–80–102–0006– प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन	5,00,000.00 (पॉच लाख)
2245–80–102–0007– शताब्दी अन्न कलश योजना	10,00,00,000.00 (दस करोड़)
2251–00–090–0017– आपदा प्रबंधन विभाग (मुख्यालय स्थापना)	3,08,13,000.00 (तीन करोड़ आठ लाख तेरह हजार)
2235–01–200–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय	50,00,000.00 (पचास लाख)

2235–01–200–0004–कटाव से विस्थापितों को भूमि की क्षति के लिए साहाय्य अनुदान	5,00,00,000.00 (पॉच करोड़)
2235–60–200–0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मृत्यु/घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान	1,00,00,000.00 (एक करोड़)
2070–00–106–सिविल रक्षा (मुख्यालय स्थापना/जिला प्रभार/प्रशिक्षण)	2,26,76,000.00 (दो करोड़ छब्बीस लाख छिहत्तर हजार)
योग	**4,01,45,82,000.00 (चार अरब एक करोड़ पैतालीस लाख बयासी हजार)**

मांग संख्या– 14

गैर योजना मुख्य शीर्ष	**(राशि रु0 में)**
6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–0002– आवास तथा नगर विकास निगम से कर्ज	1,000.00 (एक हजार) रूपये

मांग संख्या– 39

योजना मद :– मुख्य शीर्ष	**(राशि रु0 में)**
2245–02–001–0101–बाढ़ चक्रवात आदि	3,00,00,000.00 (तीन करोड़)
2245–02–112–0104–संचार उपकरणों का क्रय	9,10,00,000.00 (नौ करोड़ दस लाख)
2245–80–001–0103– आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	2,91,53,000.00 (दो करोड़ इकयानवे लाख तिरपन हजार)
2245–80–102–0103– एन0डी0एम0ए0 की परियोजनाएं	4,00,000.00 (चार लाख)
2245–80–102–0104– राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स	16,00,00,000.00 (सोलह करोड़)
2245–80–102–0105– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (आपात कालिन संचालन केन्द्र)	5,65,00,000.00 (पॉच करोड़ पैसठ लाख)

2245–80–789–0101– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	50,00,000.00 (पचास लाख)
2245–80–800–0102– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (अन्य व्यय)	11,40,00,000.00 (ग्यारह करोड़ चालीस लाख)
4250–00–051–0104–वेयरहाउस (निर्माण)	3,00,00,000.00 (तीन करोड़)
योग	**51,60,53,000.00 (इकयावन करोड़ साठ लाख तिरपन हजार)**

इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिले भीशण चक्रवातीय तूफान से प्रभावित हुए। प्रभावित जिलों में जान–माल की सुरक्षा एवं सामान्य जीवन बहाल करने हेतु कुल ₹500.00 लाख से अधिक राशि उपलब्ध कराई गई।

संसाधनों की व्यवस्था

मोटर बोट का क्रयः–

बाढ़ प्रवण 28 जिलों को 10–10 मोटर बोट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 128 FRP मोटर बोट एवं 92 इन्फ्लेटेबल मोटर बोट अब तक कुल 210 मोटर बोट जिलों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

लाईफ जैकेटः–

28 बाढ़ प्रवण जिलों में 100–100 अद्‌द लाईफ जैकेट्स पूर्व में उपलब्ध कराया गया था, इसके अतिरिक्त 100–100 अद्‌द लाईफ जैकेट बाढ़ प्रवण जिलों में पुनः उपलब्ध कराये गये हैं।

सैटेलाइट फोनः–

आपदा के समय संचार व्यवस्था कायम रखने हेतु 85 अद्‌द सैटेलाईट फोन सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध कराई गई है।

GPS सेटः–

प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारो, आरक्षी अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं 534 प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित तक कुल 844 अद्‌द GPS (Global Positioning System) सेट लगाये गये हैं।

महाजाल एवं टेन्टः–

बाढ़ आपदा एवं नौका दुर्घटना के समय बचाव कार्यों हेतु बाढ़ प्रवण 28 जिलों में महाजाल का क्रय किये जाने की योजना है। अब तक 19 जिलों में महाजाल का क्रय हो चुका है। बाढ़ के पश्चात् पीड़ित/आपदाग्रस्त लोगों के अस्थायी विस्थापन से उत्पन्न आवासन की समस्या से निपटने हेतु 09 नोडल जिलों में मेगा शिविर लगाने हेतु टेन्टों का क्रय करने की योजना है। 07 नोडल जिलों में टेन्टों का क्रय किया जा चुका है। इन नोडल जिलों से संबंधित जिलों में आपदा के समय टेन्टों को भेजा जा सकता है।

देशी नावों का क्रयः–

अति बाढ़ प्रवण 15 जिलों में 200–200 एवं बाढ़ प्रवण 13 जिलों में 100–100 देशी नाव के क्रय का लक्ष्य है। 18 जिलों में देशी नाव के क्रय की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है।

क्षमतावर्द्धन (प्रशिक्षण)

मोटर बोटों के परिचालन का प्रशिक्षणः–

मोटर बोटों के परिचालन हेतु एन0डी0आर0एफ0 की मदद से 257 होमगार्ड के जवानों को 25 बाढ़ प्रवण जिलों से चुनकर अब तक प्रशिक्षित एवं पुनर्प्रशिक्षित किया जा चुका है।

खोज एवं बचाव प्रशिक्षणः–

बाढ़ में खोज एवं बचाव तथा नाव दुर्घटना के मद्देनजर तैराकी एवं गोताखोरी का प्रशिक्षण प्रत्येक जिलों में देने का लक्ष्य रखा गया है तथा अबतक बाढ़ प्रवण 27 जिलों में प्रत्येक जिले से 30–30 (10 समुदाय, 10 होमगार्ड एवं 10 बिहार पुलिस के लोगों को चुनकर) लोगों को चुनकर कुल 810 व्यक्तियों को तथा गैर बाढ़ प्रवण 8 जिलों में प्रत्येक जिले से 15–15 (5 समुदाय, 5 होमगार्ड एवं 5 बिहार पुलिस के जवानों को) लोगों को चुनकर कुल 120 व्यक्तियों को खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षित गोताखोरों में से 480 व्यक्तियों को पुनर्पाशिक्षित किया गया है और यह प्रक्रिया सतत जारी है।

मास्टर ट्रेनरों का गठनः–

28 बाढ़ प्रवण जिलों के 297 बाढ़ प्रवण प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड से 10–10 स्वयंसेवका का (7 स्वयंसेवक एवं 3 सरकारी सेवक) चयन कर अब तक कुल 2970 बाढ़ के दौरान खोज एवं बचाव कार्य में दक्ष मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण एवं गठन NDRF के सहयोग से कर लिया गया है।

समुदाय का प्रशिक्षणः–

प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ प्रवण प्रखंडों के बाढ़ प्रवण पंचायतों से समुदाय के 5–5 व्यक्तियों को चुनकर खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। अब

तक 13,410 समुदाय के लोगों को NDRF के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भूकम्परोधी निर्माण कार्यों हेतु अभियंताओं/वास्तुविदों/भवन निर्माताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षणः–

राज्य के सभी जिले भूकम्प जोन में आते हैं। अतएव सभी जिलों में भूकम्प रोधी भवनों का निर्माण करने हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की बहुआयामी योजना प्रारंभ की जा रही है। जिस हेतु ₹47,30,17,330.00 (सैतालीस करोड़ तीस लाख सतरह हजार तीन सौ तीस रूपये) का व्यय आकलित किया गया है।

आधारभूत संरचना

वेयर हाउसः–

सभी बाढ़ प्रवण 28 जिलों में खोज एवं बचाव उपकरणों एवं राहत सामग्री के सुरक्षित भंडारण हेतु वेयर हाउस का निर्माण कराया गया ह। 15 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 13 जिला मुख्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

आपातकालीन संचालन केन्द्र (EOC):–

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में सभी प्रकार के आपदाओं के समय कार्य करने हेतु 10.00 लाख रुपये की लागत के मॉडल आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। 14 जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 23 जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र के निर्माण हेतु राशि प्रदान की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इन आपातकालीन संचालन केन्दों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की योजना है। राज्य स्तर पर आपातकालीन संचालन केन्द्र निर्मित है। इसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

विशेष बल की स्थापना एवं गठन

राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) का गठनः–

प्राकृतिक आपदाओं के समय आबादी निष्क्रमण के साथ–साथ राहत एवं बचाव कार्य हेतु National Disaster Response Force के पैटर्न पर State Disaster Response Force का गठन किया गया है तथा इसके लिए 18 श्रेणी के कुल 1159 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस बल (NDRF):–

माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर बिहार राज्य में पटना में केन्द्र सरकार द्वारा NDRF की 9th बटालियन की स्थापना हुई है जिसके सहयोग से आपदा राहत, प्रशिक्षण एवं त्वरित रिस्पौंस के कार्य संपादित किये जाते हैं। विशेष रूप से मानसून के पूर्व संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों मे NDRF की कंपनियों की स्थापना की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार है।

संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारीः–

उत्तर बिहार की नदियों में लगभग हर वर्ष बाढ़ आने से बहुत बड़ा भू–भाग प्रभावित होता रहता है। यह देखा गया है कि लगभग 3–4 वर्ष का बाढ़ चक्र उत्तर बिहार में प्रभावी होता है जिसके अनुसार प्रत्येक 3–4 वर्ष के अन्तराल में बाढ़ बहुत बड़े भू–भाग को प्रभावित करती है। वर्त्तमान दशक में वर्ष 2004 तथा 2007 में उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित रहे। वर्ष 2008 में कोशी प्रलय से राज्य के 5 जिले प्रभावित हुए। वर्ष 2011 में भी लगभग बिहार के 22 जिले भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न–भिन्न कारणों से बाढ़ आपदा से ग्रस्त हुए। आपदा प्रबंधन विभाग पूर्ण तत्परता के साथ बाढ़ आपदा से निपटने हेतु तैयारी करता है।

अग्नि साहाय्यः–

अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मुहैया कराना आपदा प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। अगले वर्ष भी इस कार्य को जारी रखने का प्रावधान बजट में रखा गया है।

शीतलहर से बचाव के उपायः–

दिसम्बर माह के उतरार्द्ध से जनवरी, 2012 में राज्य शीत लहरी के चलते नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। विभाग ने पूरे राज्य में जगह–जगह अलाव की व्यवस्था करायी थी, ताकि गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों को भीषण शीत लहर से बचाव हो सके। आगामी वर्ष म भी शीतलहर से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुदानः–

आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अनुसार वज्रपात से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है। फलस्वरूप वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान देने में कठिनाई आ रही थी। किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुदान देने की व्यवस्था की है। तद्नुसार पूर्व वर्ष की भॉति आगामी वित्तीय वर्ष में भी वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आपदा राहत कोष के मानदर के अनुसार संबंधित जिलों को अनुदान स्वरूप राशि प्रदान की जायेगी।

शताब्दी अन्न कलश योजनाः–

राज्य मे रहने वाले निर्धन, बूढ़े, विकलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर

वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत ₹10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) का प्रावधान किया गया है तथा 11635 क्वीं खाद्यान्न जिलों को आवंटित किया गया है।

मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माणः—

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ आपदा के दौरान त्वरित रिस्पौंस तथा पेयजल संकट से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्माण किया गया है। सूखा, भूकम्प जैसी आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण हेतु कार्यशालाओं का निर्माण किया गया है एवं निकट भविष्य में इन SOP का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरणः—

बिहार राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। आगामी वर्ष में प्राधिकरण के सुदृढीकरण की योजना है ताकि प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों को पूर्ण क्षमता के साथ सम्पादित कर सके। सुदृढ़ीकरण अंतर्गत नए पदों का सृजन किया जाएगा।

गैर प्राकृतिक आपदाः—

आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदाओं के साथ—साथ गैर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी हर संभव ससमय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।

राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF):—

बल में नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2011—12 में प्रारंभ कर दी गयी थी। वर्ष 2012—13 में इस बल को खड़ा कर इसके कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं में इस बल का उपयोग किया जाएगा।

इमर्जेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC) को कार्यरत बनानाः—

राज्य स्तर पर EOC का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में EOC का निर्माण विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2012—13 में सभी EOC को पूर्णतया कार्यरत कर देने की योजना है।

नयी नावों, महाजाल, टेन्ट सामग्री एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्थाः—

गत वर्ष आपदाओं से निपटने के लिए नयी नावों, महाजाल, टेन्ट सामग्री एवं अन्य उपकरणों का क्रय जिलों हेतु किया गया है। वर्ष 2012—13 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जिलों को आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक सुविधाओं से लैस करने की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

आपदा प्रबंधन हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्थाः—

वर्ष 2011—12 में राज्य के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए एक—एक एम्बुलेंस के क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग को राशि विमुक्त की गयी है। वर्ष 2012—13 में इन एम्बुलेंसों को उपयोग में लाया जाएगा ताकि आपदा प्रभावितों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

समुदाय का प्रशिक्षणः—

किसी भी आपदा में समुदाय पहला रिस्पांडर होता है। गत वर्षों बाढ़ प्रवण जिलों एवं पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया को आगे

बढ़ाते हुए राज्य की सभी पंचायतों में समुदाय के 5–5 व्यक्तियों को भूकम्प आपदा का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की जाएगी।

गोताखोरों का प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षणः–

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे व्यक्तियों का शव बरामद करने हेतु गोताखोरों का प्रशिक्षण गत वर्षों में प्रारंभ किया गया था। इस प्रक्रिया को वर्ष 2012–13 में भी आगे बढ़ाया जाएगा।

****